एस एल ओ

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030

फा.सं: प्रशा.ए/ए3/95/264

सितंबर 14, 2018

कार्यालय आदेश सं. 466

विषय:एनआईआरडीपीआर: राज्य संपर्क अधिकारियों की योजना-दिशानिर्देश जारी करना-2018

संदर्भ : एनआईआरडीपीआर प्रशासनिक कार्यालय आदेश सं.58 दिनांक 01.5.2015

उपरोक्त उल्लिखित राज्य संपर्क अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों के अधिप्राप्ति में, नीचे दिए गए अनुसार नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

1. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) को सततयोग्य ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कार्यकताओं और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण और अनुसंधान से जुड़े अन्य संस्थानों के अलावा संबंधित राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर), विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीसी) और पंचायती राज प्रशिक्षण/ संसाधन केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ प्रभावी नेटवर्किंग की आवश्यकता है। एसएलओ प्रणाली का उद्देश्य एसआईआरडीपीआर/ ईटीसी और इस प्रकार राज्य विभागों के साथ संपर्क द्वारा उपरोक्त को हासिल करना है।

2. एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कैलेंडर और अनुसंधान पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए भी एसआईआरडीपीआर/ईटीसी/पीआर प्रशिक्षण/संसाधन केंद्रों के साथ नेटवर्किंग और घनिष्ठ संयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य स्तरीय संस्थानों को प्रशिक्षण कैलेंडर में परिकल्पित अनुसार प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक वितरित करना है, विशेष रूप से नेटवर्क/ऑफ कैंपस कार्यक्रमों को यह भी याद रखना आवश्यक है कि प्रशिक्षण कैलेंडर को राज्य कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाटम-अप दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किए जाते जिसमें एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए एसएलओ द्वारा,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित राज्य तथा उप-राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों तक नेटवर्किंग को विस्तारित किया जाना है।

3. इस प्रकार, एसएलओ गहन जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए "सद्भावी राजदूत" और पेशेवर सलाहकार/ परामर्शदाता बनने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उनके संकाय द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा एनआईआरडीपीआर के अनुसंधान गतिविधियों में उनकी क्षमताओं का निर्माण करने में भी राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय को शामिल करना आवश्यक है।

4. परिस्थितियों के तहत, राज्य संपर्क अधिकारियों की मौजूदा जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को संशोधित किया गया है और परिशिष्ट-। में संलग्न किया गया है।

5. राज्यों के आबंटन को भी संशोधित किया गया है और परिशिष्ट -॥ में संलग्न किया गया है।

6. ये दिशानिर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे ताकि राज्य संपर्क अधिकारीगण प्रभावी रूप से विभिन्न राज्यों में अपनी गतिविधियों की पहुंच और कवरेज का विस्तार कर सकें।

7. वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन करते समय राज्य संपर्क अधिकारियों का सफल प्रदर्शन एक अतिरिक्त जोड होगा ।

संलग्न: परिशिष्ट- ।और ॥

//आदेशानुसार //

हस्ता /-
महानिदेशक

सेवा में,
सभी राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) - (सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :

<u>एनआईआरडीपीआर-आंतरिक</u>

1. एनआईआरडी-एनईआरसी, गुवाहाटी और सभी केंद्रों के प्रमुख
2. सहायक प्रोफेसर (सीआरटीसीएन-प्रशि.)
3. महानिदेशक के निजी सचिव
4. उप महानिदेशक के निजी सचिव

5. रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.) के पीए
6. सहा. रजिस्ट्रर (टी)
7. एएफए एवं पीएओ
8. लेखा अधिकारी (टी)
9. कार्यालय आदेश फाईल
10.कार्यालय प्रति

बाह्य :

1. आरडी एवं पीआर के राज्य सचिव
2. एसआईआरडी के अध्यक्ष
3. ईटीसी के प्रमुख
4. संयुक्त सचिव (टी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट- ।

राज्यों/ एसआईआरडीपीआर को एनआईआरडीपीआर राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) के कर्तव्य और जिम्मेदारियॉं

1. एसएलओ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित राज्य/ एसआईआरडीपीआर/ ईटीसी को तिमाही में कम से कम एक बार दौरा करें। जहां तक संभव हो, इसकी योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए कि यह समय-समय पर आयोजित एसआईआरडीपीआर/ ईटीसी की प्रबंध समिति/ कार्यकारी समिति की बैठकों के साथ परस्पर मेल खाये और नियोजित गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए अभिग्रहित गाँवों का दौरा करें ।
2. एसएलओ, आरजीएसए/ जीपीडीपी आदि से संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति/ सलाहकार समितियों के सदस्य भी हैं। उन्हें इन बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेना चाहिए और राज्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
3. एसएलओ प्रशिक्षण आवश्यक मूल्यांकन (टीएनए) और राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (एसटीएपीएल डिजाइनिंग और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों की योजना बनाना) के प्रतिपादन में एसआईआरडीपीआर एवं ईटीसी का मार्गदर्शन/परामर्श करें ।

4. एसएलओ योजना के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए और एसआईआरडीपीआर/ईटीसी द्वारा 'लक्ष्य' और 'उपलब्धियाँ' हासिल करने में सक्षम करना होगा।
5. एसएलओ आरडी एवं पीआर गतिविधियों में शामिल एसआईआरडीपीआर/ईटीसी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में, एनआईआरडीपीआर को निरंतर आधार पर, नियमित रूप से जानकारी देना सुनिश्चित करेगा।
6. एसएलओ एसआईआरडीपीआर, राज्यों और भारत सरकार द्वारा प्रभावी निगरानी और डेटा विश्लेषण के लिए एसआईआरडीपीआर एवं ईटीसी को प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) का उपयोग करने में सक्षम बनायेगा ।
7. एमओआरडी "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करने" की केंद्रीय योजना के तहत एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय आरजीएसए के तहत धन प्रदान करता है। एसएलओ दिशानिर्देशों के अनुसार इन योजनाओं के तहत निधि समर्थन की मांग के प्रस्ताव तैयार करने में राज्य सरकारों, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी की सहायता कर सकते हैं।
8. एसएलओ को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए सुविधा प्रदान करना है और एनआईआरडीपीआर, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के अनुमोदित मापदंडों के भीतर, भारत और विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संकायों के लिए प्रायोजन सुविधा प्रदान करना है ।
9. एसएलओ आगे के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित मामला अध्ययनों, फिलमों के रूप में सफल कहानियों, बेहतर अभ्यासों का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एनआईआरडी के वेब पोर्टल www.nird.org.in और www.ruraldeeksha.nic.in के माध्यम से आरडी एवं पीआर साहित्य पर भंडार का सृजन करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण अभ्यास, मॉड्यूल और अन्य संबंधित सामग्री को संकलित करें।
10. एसएलओ को ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन/ प्रचार-प्रसार में राज्य सरकारों और प्रशिक्षण संस्थानों की मदद करनी है और एनआईआरडीपीआर/ एमओआरडी के स्वीकृत

मानदंडों के भीतर ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क की स्थापना करने में मार्गदर्शन करना है ।

11. एसएलओ को वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के साथ जुडना चाहिए जो प्रभावी भागीदारी और एनआईआरडीपीआर के साथ सहयोग के लिए एनआईआरडीपीआर के संपर्क बिंदु/ मित्र हो सकते हैं ।
12. एसएलओ को आरडी एवं पीआर प्रशिक्षण में शामिल एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी, ईटीसी और अन्य संस्थानों के बीच उपयुक्त नेटवर्किंग विकसित करना हैं ताकि प्रशिक्षण और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ाया जा सके।
13. एसएलओ अग्रिम रूप से राज्य सरकारों, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के लिए अग्रिम रूप से प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान और एनआईआरडीपीआर के ग्राम अभिग्रहण क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जिम्मेदार होंगे, ताकि एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकें।
14. एसएलओ को संबंधित राज्य/ एसआईआरडीपीआर द्वारा की गई मांगों के आधार पर एनआईआरडीपीआर और ईटीसी में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन में एनआईआरडीपीआर के अन्य केंद्रों की मदद करने की आवश्यकता है।
15. एसआईआरडी ने उनके राष्ट्र स्तरीय अधिकारियों (एनएलओ) को नामित किया है जो एनआईआरडीपीआर के साथ संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करेंगे। एसएलओ को सौंपे गए राज्यों के एनएलओ के साथ समन्वय करना है।
16. एसएलओ को महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले कार्य के किसी अन्य मद को करने की आवश्यकता होती है।
17. वरिष्ठ संकाय जिन्हें किसी भी राज्य को आबंटित नहीं किया गया है, वे नए अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और एसएलओ का समर्थन करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, शामिल हो सकते हैं।
18. इस कार्यालय आदेश के तहत आबंटित नए एसएलओ की पर्यावेक्षण के तहत, ग्राम अभिग्रहण कार्यक्रम जारी रहेगा। एसएलओ पिछले एसएलओ से विस्तृत जानकारी लेंगे जिन्होंने ग्राम अभिग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत की है और स्थिति के अनुसार नियोजित या संशोधित गतिविधियों को जारी रखेंगे ।

19. एसएलओ संबंधित दौरों के 10 दिनों के भीतर अपनी यात्रा की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को सौंपेंगे ।

***

परिशिष्ट- II

एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य

क्र.सं.	राज्य	संकाय सदस्य
1	आन्ध्र प्रदेश	डॉ.[सुश्री] रुचिरा भट्टाचार्य सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)
2	अरूणाचल प्रदेश	डॉ. अंजन कुमार भंज एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर)
3	असम	डॉ.[सुश्री] अरूणा जयमणि सहायक प्रोफेसर (सीपीएमई)
4	बिहार	डॉ. पी. राजकुमार सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)
5	छत्तीसगढ	डॉ.[सुश्री] पी अनुराधा सहायक प्रोफेसर (सीडब्ल्यूई)
6	गोआ	डॉ. श्रीनिवास सज्जा सहायक प्रोफेसर (सीएसए)
7	गुजरात	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन

		प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडब्ल्यूई)
8	हरियाणा	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर (प्रशिक्षण)
9	हिमाचल प्रदेश	डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर एसोसिएट प्रोफेसर (सीडब्ल्यूई)
10	जम्मू-कश्मीर	श्री के.राजेश्वर सहायक प्रोफेसर (सीआईसीटी)
11	झारखंड	डॉ.[सुश्री] एस.के. सत्यप्रभा सहायक प्रोफेसर (सीजीजीपीए)
12	कर्नाटक	डॉ. लखन सिंह सहायक प्रोफेसर (सीएचआरडी)
13	केरल	डॉ. रमेश सक्तिवेल एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीआईएटी)
14	मध्य प्रदेश	डॉ.[सुश्री] सुचरिता पुजारी सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)
15	महाराष्ट्र	डॉ. एम.श्रीकांत एसोसिएट प्रोफेसर (सीजीएसडी)

16	मणिपुर	श्री ए. सिम्हाचलम सहायक प्रोफेसर (एनईआरसी)
17	मेघालय	डॉ. एम. रवि बाबु एसोसिएट प्रोफेसर (सीगार्ड)
18	मिजोरम	डॉ. आर.एम.पंत निदेशक (एनईआरसी)
19	नागालैंड	डॉ. रत्न भुयान सहायक प्रोफेसर (एनईआरसी)
20	ओडिशा	डॉ. सुरजित विक्रमन एसोसिएट प्रोफेसर (सीएसआरपीपीपीए)
21	पंजाब	डॉ.[सुश्री] आकाँक्षा शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर (सीडीसी)
22	राजस्थान	डॉ.पार्था प्रतिम साहु एसोसिएट प्रोफेसर (सीईडी)
23	सिक्किम	डॉ. के.प्रभाकर सहायक प्रोफेसर (सीजीजीपीए)
24	तमिलनाडु	डॉ.[सुश्री] वी.जी.नित्या सहायक प्रोफेसर (सीएएस)
25	तेलंगाना	डॉ. सी. कथिरेसन

		एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर)
26	त्रिपुरा	डॉ. पी.पी.भट्टाचार्या सहायक प्रोफेसर (एनईआरसी)
27	उत्तर प्रदेश	डॉ. रवीन्द्रा एस.गवली प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीएनआरएम)
28	उत्तराखंड	डॉ.[सुश्री] प्रत्यूस्ना पटनायक सहायक प्रोफेसर (सीपीआर)
29	पश्चिम बंगाल	डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर (सीआरआई)